मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग
नई दिल्ली – 110 002

दूरभाष सं : 011 23234092 (431)
फैक्स सं : 011 23239868
ई-मेल : jd-olhq@esic.in
वेबसाइट : www.esic.nic.in

सं. ए–49 / 16 / 5 / 2013–रा.भा.

दिनांक: 17.04.2014

सेवा में,

1. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी), नई दिल्ली।
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय।
3. सभी निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक, उप क्षेत्रीय कार्यालय।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि.अस्पताल।
5. निदेशक, निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली / नोएडा।

विषयः <u>क.रा.बी निगम के अधिकारियों द्वारा हिंदी में अधिकाधिक डिक्टेशन देने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2013–14</u> ।

महोदय,

राजभाषा विभाग की उपर्युक्त योजनानुसार जो अधिकारी पूरे वित्त वर्ष में हिंदी डिक्टेशन का यथापेक्षित रिकॉर्ड रखते हैं वे इस योजना में भाग ले सकते हैं । यह योजना वित्त वर्ष पर आधारित है । हिंदी डिक्टेशन योजना के अंतर्गत कार्यालय प्रमुखों के साथ–साथ अन्य अधिकारी भी भाग ले सकते हैं । परंतु, पिछले कुछ समय से यह देखने में आया है कि इस प्रोत्साहन योजना में निगम के बहुत कम अधिकारी भाग लेते हैं। प्रतिभागियों की संख्या सीमित होने के कारण योजना का उद्देश्य अधूरा रह जाता है । इस योजना की पुरस्कार की राशि भी दोगुनी बढ़ चुकी है।

अतः उक्त प्रोत्साहन योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक अधिकारी इस योजना से परिचित हो सकें और उनमें हिंदी में काम करने और करवाने के प्रति रुचि उत्पन्न हो । इस योजना के अंतर्गत संबंधित अधिकारी द्वारा डिक्टेशन का रिकॉर्ड निम्न विहित प्रपत्र में रखा जाना अपेक्षित है :–

क्र.सं.	दिनांक	डिक्टेशन में लिखी गई पंक्तियों की संख्या	फाइल संख्या	अभ्युक्ति

इस योजना के अंतर्गत कार्यालय प्रमुखों के डिक्टेशन के रिकॉर्ड की समीक्षा मुख्यालय स्तर पर की जाती है तथा क्षेत्र कार्यालयों (फील्ड यूनिट) के अन्य अधिकारियों के डिक्टेशन रिकॉर्ड की जांच संबंधित कार्यालय स्तर पर की जानी अपेक्षित है । इस योजना के अंतर्गत विजेता अधिकारी को हिंदी भाषी एवं हिंदीतर भाषी वर्ग के अंतर्गत **2000 / –रु. प्रत्येक (दो हजार रुपये केवल)** पुरस्कार देने की व्यवस्था है । इस प्रकार किसी कार्यालय में केवल दो पुरस्कार स्वीकृत किए जा सकते हैं ।

अतः निवेदन है कि योजना के अंतर्गत सभी इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएं और अपने कार्यालय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई उपरांत पुरस्कृत अधिकारियों की सूची मुख्यालय भिजवाई जाए ।

भवदीय,

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
<u>संयुक्त निदेशक (रा.भा.)</u>

<u>प्रतिलिपि</u> :
1. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को क.रा.बी.नि. की वेबसाइट में अपलोड करें।

<u>संयुक्त निदेशक (रा.भा.)</u>

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन
Website Contents Management
डायरी सं. / Diary No. 330
दिनांक / Date 21/4/2014